



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2018/पौष 13, 1939

No. 05]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2018/PAUSHA 13, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

**सा.का.नि. 6 (अ).**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और

1. कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी, प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015 ; और

2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, ज्येष्ठ उपकरण इंजीनियर (समूह 'क' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2016, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे।

**2. लागू होना :** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक *कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (मुख्यालय) में तैनात होने पर पदधारी को उप आयुक्त (एम एंड टी) के पद पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	6* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -12 (78800-209200 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है; (ii) 50 प्रतिशत पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b>-वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67700-208700/- रु.) में ऐसे ज्येष्ठ कृषि इंजीनियर और ज्येष्ठ इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर जिन्होंने उस लेवल में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या किसी कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेक्टरों सहित कृषि उपकरणों और मशीनों के ऑपरेशन या मरम्मत और रखरखाव या डिजाइन विकास, उत्पादन, प्रशिक्षण और परीक्षण के क्षेत्र में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> संबंधित लेवल या पद में विहित अर्हत सेवा वाले अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के प्रतिनर्देश से प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची तैयार की जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -11 (67700-208700/- रु.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस लेवल में 5 वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं; अर्थात् :-</p>	<p><b>समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</b></p> <p>1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष</p> <p>2. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</p> <p>3. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना जब किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है उस समय (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त किया जा रहा हो।</p>

<p><b>आवश्यक :</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री ;</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से ट्रेक्टरों सहित कृषि उपकरणों और मशीनों के ऑपरेशन या मरम्मत और रखरखाव या डिजाईन विकास और परीक्षण के किसी भी क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण - 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण - 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 ज्येष्ठ कृषि इंजीनियर ज्येष्ठ * कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (मुख्यालय) में तैनात होने पर पदधारी को सहायक आयुक्त (एम एंड टी के पद पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	13* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -11  (67700-208700 रुपए)	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण:-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश

					के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक :</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री ; और</p> <p>(ii) किसी सरकारी या निजी सूचीबद्ध संगठन में शिक्षण अनुभव सहित ट्रेक्टरों, कृषि मशीनरी और संबद्ध उपकरणों के संचालन और रखरखाव का 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>सरकारी या निजी सूचीबद्ध संगठन में स्वतंत्र रूप से फार्म मशीनरी और कृषि यंत्रों का परीक्षण तथा मूल्यांकन कार्य का 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय :</b></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	<p>आयु ; नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हता; हां</p>	<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष</p>	<p>(i) 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा;</p> <p>(ii) 60 प्रतिशत पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी द्वारा</p>

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:-</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56100-177500/- रु.) में ऐसे परीक्षण इंजीनियर जिन्होंने उस लेवल में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (44900-142400/- रु.) में ऐसे कृषि</p>	<p><b>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</b></p> <p>1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष</p> <p>2. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि,</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

इंजीनियर जिन्होंने उस लेवल में 7 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेक्टरों, कृषि मशीनरी और सहबद्ध उपकरणों के ऑपरेशन, रखरखाव, मरम्मत, प्रशिक्षण और परीक्षण में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

**टिप्पण - 1** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण - 2** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)**

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -10 (56700-177500/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -7 (44900-142400/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

**टिप्पण - 1** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,

सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य  
3. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य  
4. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य

**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :**

1. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष  
2. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य  
3. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य

<p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण - 2</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. ज्येष्ठ इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर	01* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -11 (67700-208700 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:-</b> वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56100-177500/- रु.) में ऐसे इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर जिन्होंने उस लेवल में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> परंतु संशोधित नियम की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक श्रेणी पद अर्थात् कृषि इंजीनियर (इंस्ट्रुमेंटेशन) का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में पात्रता सेवा वहीं रहेगी जैसा कि 2001 की पूर्ववर्ती अधिसूचित नियम में उपबंध है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के</p>	<p><b>समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष</li> <li>संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</li> <li>निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर	3* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -10 (56100-177500 रुपए)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<b>आवश्यक :</b> (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरी में डिग्री ; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों से स्वतंत्र रूप से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के चलाने आदि और इलैक्ट्रॉनिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: हां	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ; (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा



<p>को लगाने की निपुणता और रखरखाव का 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी में डिग्री ;</p> <p>(ii) किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से स्वतंत्र रूप से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के चलाने आदि और इलैक्ट्रानिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और रखरखाव का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय :</b></p> <p>आई.सी. ईजन के परीक्षण और निकास उत्सर्जन मापन प्रणाली उपकरण संचालन का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:-</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स में लेवल- 7 (44900-142400/- रु.) में ऐसे कृषि इंजीनियर (इंस्ट्रूमेंटेशन) जिन्होंने उस लेवल में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p> <p><b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ</p>	<p><b>समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष</li> <li>2. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</li> <li>3. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</li> <li>4. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं</li> </ol>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदें या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी –</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -8 (47600-151100/- रु.) या समतुल्य में उस लेवल में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -7 (44900-142400/- रु.) या समतुल्य में उस लेवल में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p><b>टिप्पण - 1</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण - 2</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य</p> <p><b>समूह ख विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे</b></p> <p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – अध्यक्ष</li> <li>2. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य</li> <li>3. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य</li> </ol>	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. परीक्षण इंजीनियर	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क',	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -10 (56100-177500)	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के

	परिवर्तन किया जा सकता है।	राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	रूपए)		अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण:-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	---------------------------	----------------------------	-------	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक :</b></p> <p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरी में डिग्री ;</p> <p>2. किसी सरकारी संगठन या विश्वविद्यालय या निजी सूचीबद्ध संगठन से कृषि उपकरणों के परीक्षण या मूल्यांकन में 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय</b></p> <p>यंत्रीकृत खेती व्यवसाय का दो वर्ष का प्रयोगिक अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	एक वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टिप्पण:</b> पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किंहीं अन्य परिस्थितियों के अधीन अधीन एक वर्षया उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या परिषदें या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 (47600-151100/- रु.) में या समतुल्य पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की हो;</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (44900-142400/- रु.) में या समतुल्य पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो;</p> <p>और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के</p>

			लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	<b>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</b> 1. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. कृषि इंजीनियर (इंस्ट्रुमेंटेशन)	2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -7 (44900-142400 रुपए)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण:-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या इंस्ट्रुमेंटेशन तकनीक में डिग्री ; (ii) किसी सरकारी या निजी (सूचीबद्ध) संगठनों	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं : नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ;

<p>से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के चलाने और इलैक्ट्रानिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और रखरखाव का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			(ii) 5प्रतिशत 0 सीधी भर्ती द्वारा
--	--	--	-----------------------------------

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:-</b> वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400/- रु.) में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (इंस्ट्रुमेंटेशन) जिन्होंने उस लेवल में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्र से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के चलाने और इलैक्ट्रानिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और रखरखाव का 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</b></p>	<p><b>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</li> <li>3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</li> <li>4. निदेशक, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य</li> </ol> <p><b>पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</li> <li>3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण</li> </ol>	<p>सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति जिसके अंतर्गत ) कालिक संविदा भी अल्प (हैकरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -6 (35400-112400/- रु.) में उस लेवल में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p><b>टिप्पण - 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण - 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभाग - सदस्य</p> <p>4. निदेशक, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य</p>	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>7. कृषि इंजीनियर</p> <p>*कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (मुख्यालय) में तैनात होने पर पदधारी को सहायक इंजीनियर (एम एंड टी के पद पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।</p>	<p>16* (2016)</p> <p>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)</p>	<p>वेतन मैट्रिक्स में लेवल -7</p> <p>(44900-142400 रुपए)</p>	<p>चयन</p>	<p>30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p><b>टिप्पण:-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,</p>

					नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक :</b></p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या मेकैनिक्ल इंजीनियरी में डिग्री ;</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या स्वैच्छिक संगठनों से कृषि उपकरणों के परीक्षण या मूल्यांकन में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>(iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों या मशीनरी के प्रचालन या रखरखाव के अनुभव सहित अध्यापन या प्रशिक्षक का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p> <p><b>वांछनीय :</b></p> <p>यांत्रिक कृषि प्रणाली पर एक वर्ष का प्रायोगिक अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं),</p>	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता : नहीं</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p>	<p>(i) 60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ;</p> <p>(ii) 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>

<p>उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:-</b> वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400/- रु.) में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक जिन्होंने 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और कृषि मशीनरी के परीक्षण या विकास, ट्रैक्टरों और कृषि यंत्रों या मशीनरी के प्रचालन या रखरखाव का 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में लेवल -6 (35400-112400/- रु.) में उस लेवल में</p>	<p><b>समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</li> <li>3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</li> <li>4. निदेशक, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्था - सदस्य</li> </ol> <p><b>समूह ख विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</li> <li>3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</li> <li>4. निदेशक, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य</li> </ol>	<p>जब किसी अधिकारी की सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करनी हो उस समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।</p>



<p>नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p><b>टिप्पण - 1</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण - 2</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

[मिसिल सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्ट V।)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th December, 2017

**G.S.R. 6(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the,-

- (1) Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Technical posts Recruitment Rules, 2015; and
- (2) Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Senior Instrumentation Engineer (Group 'A' Technical post) Recruitment Rules, 2016;

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Technical posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Technical posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.– The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
5. Disqualification.– No person-
- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said posts:
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Director * * On posting at DAC and FW [Hq], the incumbent will be designated as Deputy Commissioner (M and T).	6* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200)	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) 50% by promotion failing which by deputation including short-term contract. (ii) 50% by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made

(11)

**Promotion:**

Senior Agricultural Engineer and Senior Instrumentation Engineer in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years' regular service in the level and have successfully completed four weeks' training in the field of operation or repair and maintenance or design development, production, training and testing of agricultural equipments and machines, including tractors in the Indian Council of Agricultural Research or in the State Agricultural Universities or in any Krishi Vigyan Kendra.

**Note 1 :** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective level or post.

**Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation (Including short- term contract):**

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-government or autonomous bodies or statutory organisations :

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or  
(ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

**Essential:**

- (i) Post Graduate Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering from a recognised University or institute; and
- (ii) Ten years' experience in the field of operation or repair and maintenance or design development or testing of agricultural equipments and machines, including tractors from any Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.

**Note 1:** The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b></p> <p>(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman;</p> <p>(2) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;</p> <p>(3) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), : Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).</p>

Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Agricultural Engineer *	13* (2017)  * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)	Selection	Not exceeding 40 years.  (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
*On posting at DAC and FW (Hq), the incumbent will be designated as Assistant Commissioner (M and T).					

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) Five years' experience in operation and maintenance of tractors, agricultural machinery and allied equipments including teaching experience in any Government or private listed organisation; or Five years' experience in handling independently testing and evaluation of farm machinery and agricultural implements in any Government or private listed organisation .</p> <p>Desirable: Post Graduate Degree in Agricultural Engineering from a recognised University or Institute.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing</p>	Age : No Educational qualification : Yes.	One year for direct recruits and promotees.	(i) 40% by promotion; (ii) 60% by deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
---	--	--	--

(11)

**Promotion:-**

Test Engineers in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years' regular service in the level, and Agricultural Engineer in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with seven years' regular service in the level and have successfully completed four weeks of training in operation, maintenance, repair, training and testing of tractors, agricultural machinery and allied equipments from Indian Council of Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendras.

**Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective level or post.

**Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation (including short term contract) :**

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutes or councils or semi-government or autonomous bodies or statutory organisations:

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with seven years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)

(13)

**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:**

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission  | : | Chairman; |
| (2) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare         | : | Member;   |
| (3) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare              | : | Member;   |
| (4) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare | : | Member.   |

**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| (1) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), | : | Chairman; |
|---|---|-----------|

Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	
(2) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;	
(3) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Senior Instrumentation Engineer	01* (2017). * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)
<p><b>Promotion:</b></p> <p>Instrumentation Engineer in level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years' regular service in the level.</p> <p><b>Note 1 :</b> Provided that the eligibility service in respect of persons holding the feeder grade post i.e. Agricultural Engineer (Instrumentation) on regular basis on the date of notification of the revised rules, shall continue to be the same as provided in the previous notified rules of 2001.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <p>(1) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Chairman;</p> <p>(2) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;</p> <p>(3) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary .</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Instrumentation Engineer.	3* (2017). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Selection

(6)
<p>Not exceeding 35 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(A) (i) Degree in Electronics Engineering or Instrumentation Engineering from a recognised university or institution.</p> <p>(ii) Three years' experience in handling independently installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment etc. from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognized research institutions or councils or semi-government or autonomous or statutory organisations.</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>(B)(i) Masters' degree in Electronics Engineering or Instrumentation Engineering from a recognised university or institute;</p> <p>(ii) One year experience in handling independently installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment, etc., from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognized research institutions or Councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>One year experience in instrumentation for testing of IC Engines and exhaust emission measurement system.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(8)	(9)	(10)
Age:- No. Educational Qualifications: Yes.	Two years for direct recruits and promotees.	(i) 50% by promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment; (ii) 50% by direct recruitment.

(11)
<p><b>Promotion:</b></p> <p>Agricultural Engineer (Instrumentation) in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with three years' regular service in the level.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed</p>

their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation (including short term contract) :**

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations :

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with three years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b></p> <p>(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman;</p> <p>(2) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;</p> <p>(3) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;</p> <p>(4) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member.</p> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <p>(1) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Chairman;</p> <p>(2) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;</p> <p>(3) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Test Engineer	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Not applicable



(6)	(7)
<p>Not exceeding 35 years.</p> <p>(Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(1) Degree in Agricultural Engineering of a recognised university.</p> <p>(2) Three years' experience in testing and evaluation of agricultural machinery from any Government organisation or university or private listed organisation.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Two years' practical experience of mechanised farming practices.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable, for the reasons to be recorded in writing, at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year	<p>By direct recruitment.</p> <p><b>Note:-</b> Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government or State governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-government or autonomous or statutory organisations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis; or</p> <p>(ii) with two years' regular service in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent; or</p> <p>(iii) with three years' regular service in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>

(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p><b>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <p>(1) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Chairman;</p> <p>(2) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;</p> <p>(3) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Agricultural Engineer (Instrumentation)	2* (2017)  * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Selection	Not exceeding 30 years.  (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(1) Degree in Electronics Engineering or Instrumentation Technology from a recognised university or institute.</p> <p>(2) Two years' experience in the installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment etc. from any government or private (listed) organisations.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Age : No.  Educational qualifications: No.	Two years for direct recruits.	(i)50% by promotion failing which by deputation (including short term contract);  (ii)50% by direct recruitment.

(11)
<p><b>Promotion:</b></p> <p>Senior Technical Assistant (Instrumentation) in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years' regular service in the level and have successfully completed four weeks' training in installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, handling strain gauge, sound and vibration equipment from Indian Council of Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendras.</p>

**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation (including short term contract):**

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  
(ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
<p><b>Departmental Promotion Committee (for considering promotion ) consisting of:-</b></p> <p>(1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Chairman;</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> <p><b>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <p>(1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Chairman;</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Agricultural Engineer * *On posting at DAC and FW (Hq), the incumbent will be designated as Assistant Engineer (M and T)	16* (2017)  * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Selection

(6)	(7)
<p>Not exceeding 30 years.</p> <p>(Relaxable upto five years for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering of a recognised University.</p> <p>(ii) Two years' experience in testing and evaluation of agricultural machinery from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(iii) Two years' experience of teaching or as a trainer, including experience in operation or maintenance of tractors and agricultural implements or machinery, the experience sought is to be from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>One year practical experience of mechanised farming practices.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable, for reasons to be recorded in writing, at the discretion of the Union Public Service Commission, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable, for the reasons to be recorded in writing, at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(8)	(9)	(10)
Age: No Educational qualifications : No.	Two years for direct recruits.	(i) 60% by promotion failing which by deputation including short term contract; (ii) 40% by deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(11)
<p><b>Promotion:</b></p> <p>Senior Technical Assistant with five years' regular service in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix and have successfully completed four weeks' training in testing or development of agricultural machinery, operation or maintenance of tractors and agricultural implements or machinery.</p> <p><b>Note :</b> Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than</p>

half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation (including short term contact):**

Officers under the Central Government or state government or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations:-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** Period of deputation (including short term contact) including period of deputation (including short term contact) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contact) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b></p> <p>(1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Chairman;</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <p>(1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Chairman;</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract) .</p>

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt VII)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.